Gen. No. 13

विविध बैंक प्रकरण सं0 44/2018(RCMS : 2018/00098) एवं 52/2018 (RCMS : 2018/00098) बैंक ऑफ बडौदा, जवाहर नगर, मीरा मार्ग, श्रीगंगानगर बनाम 1. मै. आशु ट्रेडिंग कम्पनी –प्रो. अश्वनी बंसल प्रो. अश्वनी बंसल 6–पी–25 जवाहर नगर, इन्द्रा वाटिका के पास, श्रीगंगानगर 2. रवि कुमार पुत्र श्री मुकुन्द लाल कुक्कड़, 27–28 (पाट) बाबा दीप सिंह कॉलोनी, सैक्रेट हार्ट स्कूल, द्वितीय गेट, श्रीगंगानगर 3. मयंक मित्तल पुत्र विजय कुमार मित्तल, निवासी एफ 1, आनन्द विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.08.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री गुरचरण सिंह उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री गुरचरण सिंह का कथन था कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी मैसर्स आशु ट्रेडिंग कम्पनी–प्रो. श्री अश्वनी बसंल को दिनांक 28..01.2016 को 70,00,000/–रूपये (अखरे रूपये सत्तर लाख मात्र) की वित्तीय सुविधा प्रदान की गई और नियमित ऋण की सुरक्षा की एवज में जमानतदार मयंक मित्तल ने अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं आई–19, किला नं 10, किला नं. 45, चक 6–ई छोटी, (वर्तमान में आनन्द विहार) श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1950 वर्गफुट) एवं रवि कुमार की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 04 का मध्यम भाग, नागपाल कॉलोनी, दुर्गेश सिनेमा रोड, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणी मै. आशु ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी फर्म ऋणी का ऋण खाता दिनांक 30.06.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणीं के नाम दिनांक 30.06.2017 को कुल 72,93,109/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है। अप्रार्थी ऋणी व गांरटर मयंक मित्तल व रवि कुमार को बकाया ऋणी राशि मय ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाने के लिए धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 10.08.2017 को जारी किया गये। उक्त नोटिस तामील के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जमा नही करवाई गई है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के साथ वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और् पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई मयंक मित्तल की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं आई–19, किला नं 10, किला नं. 45, चक 6–ई छोटी, (वर्तमान में आनन्द विहार) श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1950 वर्गफुट) एवं रवि कुमार की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 04 का मध्यम भाग, नागपाल कॉलोनी, दुर्गेश सिनेमा रोड, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने एक ऋण की एवज में रखी गई दो सम्पत्तियों के दो प्रकरण क्रमशः 44/2018 जिसमें मयंक मित्तल की बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं आई–19, किला नं 10, किला नं. 45, चक 6–ई छोटी, (वर्तमान में आनन्द विहार) श्रीगंगानगर एवं 52/2018 में रवि कुमार की बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं 04 का मध्यम भाग, नागपाल कॉलोनी, दुर्गेश सिनेमा रोड, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) का कब्जा दिलाने के लिए अलग–अलग प्रकरण प्रस्तुत किये है। चूंकि दोनों सम्पत्तियां अप्रार्थी ऋणी फर्म मै. आशु ट्रेडिंग कम्पनी–प्रो. अश्वनी बंसल को दिनांक 28.01.2016 को दी गई ऋण सुविधा 70.00 लाख रूपये से सम्बन्धित है। इसलिए इन दोनों प्रकरणों का निर्णय एक साथ किया जाना उचित होगा। अतः इस प्रकरण संख्या 44/2018 के साथ प्रकरण संख्या 52/2018 शामिल किया जाता है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स आशु ट्रेडिंग कम्पनी–प्रो. श्री अश्वनी बसंल को दिनांक 28..01.2016 को ऋण सुविधा के रूप में 70,00,000/–रूपये (अखरे रूपये सत्तर लाख मात्र) की ऋण राशि स्वीकृत की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गारंटर मयंक मित्तल की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं आई–19, किला नं 10, किला नं. 45, चक 6–ई छोटी, (वर्तमान में आनन्द विहार) श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1950 वर्गफुट) एवं रवि कुमार की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 04 का मध्यम भाग, नागपाल कॉलोनी, दुर्गेश सिनेमा रोड, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किये जाने के कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 10.08.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणीयों के नाम से दिनांक 30.06.2017 को कुल 72,93,109/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 10.08.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया था। उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई और न ही कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया गया। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ उक्त अधिनियम की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई गारंटर मयंक मित्तल की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं आई–19, किला नं 10, किला नं. 45, चक 6–ई छोटी, (वर्तमान में आनन्द विहार) श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1950 वर्गफुट) एवं रवि कुमार की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 04 का मध्यम भाग, नागपाल कॉलोनी, दुर्गेश सिनेमा रोड, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट)में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा मयंक मित्तल की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं आई–19, किला नं 10, किला नं. 45, चक 6–ई छोटी, (वर्तमान में आनन्द विहार) श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1950 वर्गफुट) एवं रवि कुमार की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 04 का मध्यम भाग, नागपाल कॉलोनी, दुर्गेश सिनेमा रोड, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) जिला श्रीगंगानगर भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है उक्त बंधक रखी गई दोनों सम्पत्तियां निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है। जिसके सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.08.2017 की तामील का प्रश्न है, पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 10.08..2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स आशु ट्रेडिंग कम्पनी–प्रो. अश्वनी बसंल–ऋणी, रवि कुमार–गारंटर, मयंक मित्तल –गारंटर को रजिस्टर्ड नोटिस डाक से भिजवाये गये है। पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्रीयों की रसीदे शामिल है। जिसकी पुष्टि संलग्न पोस्ट ऑफिस की एडी रसीद से होती है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों एवं जमानतदार ने धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बावजूद भी ऋण की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही धारा 13(2) नोटिस पर कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया है। प्रार्थी बैंक के द्वारा बहस के दौरान ऋणी का एकाउंट स्टेटमैट पेश किया है, जिसके अनुसार दिनांक 27.07.2018 को ऋण राशि 15,62,898/– रूपये बकाया है एवं अप्रार्थी द्वारा राशि 70.00 लाख की एवज् में उक्त दोनों सम्पत्तियां प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई। प्रकरण संख्या 44/2018 में मयंक मित्तल की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं आई–19, किला नं 10, किला नं. 45, चक 6–ई छोटी, (वर्तमान में आनन्द विहार) श्रीगंगानगर एवं प्रकरण संख्या 52/2018 में रवि कुमार की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 04 का मध्यम भाग, नागपाल कॉलोनी, दुर्गेश सिनेमा रोड, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा चाहा है। प्रकरण संख्या 44/2018 के पेश करने की दिनांक 20.02.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 72,93,109/– रूपये दिनांक 30.06.2017 तक

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बकाया बताये थे और प्रकरण संख्या 52/2018 को पेश करने की दिनांक 29.02.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी 72,93,109/– रूपये राशि बताई थी। चूंकि दोनों मामलों में ऋणी एक ही मैसर्स आशु ट्रेडिंग कम्पनी–प्रो. अश्वनी बंसल है और दोनों में जमानतदार मयंक मित्तल व रवि कुमार दोनों की अलग अलग सम्पत्तिया बंधक रखी गई है। जिनका कब्जा नियमानुसार प्रार्थी बैंक को दिलाया जा सकता है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 08.08.2018 जो अप्रार्थी ऋणी फर्म मैसर्स आशु ट्रेडिंग कम्पनी –प्रो. अश्वनी बंसल का बैंक खाते का स्टेटमैंट पेश किया है जिसके अनुसार दिनांक 27.03.2018 को राशि 15,62,898.10/– रूपये जमा होने शेष बताये है। इसलिए **बकाया ऋण राशि की सीमा को देखते हुए बंधक रखी गई उक्त दोनों बंधक रखी सम्पत्तियों में से एक ही बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को बकाया ऋण वसूली के लिए में एवज् दिलाया जाना चाहिए। इसलिए बाद में प्रस्तुत किये गये प्रकरण संख्या 52/2018 में बंधक रखी गई जमानतदार रवि कुमार की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 04 का मध्यम भाग, नागपाल कॉलोनी, दुर्गेश सिनेमा रोड, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।**

अतः प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा का धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 का उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है और उक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी ऋणी फर्म मैसर्स आशु ट्रेडिंग कम्पनी–प्रो. अश्वनी बंसल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई उक्त सम्पत्तियों में से गारंटर रवि कुमार की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 04 का मध्यम भाग, नागपाल कॉलोनी, दुर्गेश सिनेमा रोड, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 500 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त रवि कुमार की सम्पत्ति का कब्जा

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाने के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस आदेश की एक प्रति प्रकरण संख्या 52/2018 में भी रखी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर